(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकरी, बमुकाम नांवा जिला नागौर राजस्थान

विजयकुमार पुत्र भंवरलाल महाजन
निवासी श्यामगढ तह. नावां

बनाम

भंवरलाल पुत्र मूलचन्द महाजन
निवासी श्यामगढ तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आर.टी.ए.

मुकदमां नम्बर 10 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
06.02.2019	वकील प्रार्थी ने इसी अनुवान वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने का निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी 1 की ओर से पूर्व में केवियट पेश हो रखी हैं वकील अप्रार्थी को सूचित किया गया उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया उक्त विवादित भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का भी पुश्तैनी हक हिस्सा निहित हैं जो प्रार्थी की आजीविका का मात्र एक साधन हैं अप्रार्थी के अधिवक्ता ने एतराज पेश किया हैं कि मैं विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसको अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग करने का पूर्ण अधिकारी हैं उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के हम में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पैशी दिनांक 19.02.2019 तक पाबन्द किया जाता हैं कि ग्राम श्यामगढ के खसरा नम्बर 692, 693, 694, 695, 1241/814, 1244/814, 1245/813 कुल रकबा 17.95 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053, 1236/1054 कुल रकबा 0.93 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 813, 814, 1242/695, 1243/694 कुल रकबा 3.93 हैक्टयर व 687, 688, 689, 809, 811, 812, 1148/692, 1149/813 कुल रकबा 9.51 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी 1 की खातेदारी में दर्ज भूमि का बैचान एवं दस्तावेज पंजीयन नही करे व राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनायी जावें इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो, तो असालतन /वकालतन इस न्यायालय में नियत तिथि को उपरिथिति होकर वजह जाहिर करे। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.02.2019 को पेश हो। (रामसुख गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी, नांवा	

19/2/19 पत्रावली पेश बार एसोसियशन मे
कन्डोलेन्स ....कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया/ पत्रावली इजलास
होकर दिनांक 10/3/19 को पेश हो।

10/3/19 पत्रावली पेश बार एसोसियशन मे
कन्डोलेन्स ....कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया/ पत्रावली इजलास
होकर दिनांक 3/4/19 को पेश हो।

3/4/19 वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण के नोटिस पेश करने हेतु हिदायत दी जाती है। पूर्व से जारी ता आदेश की म्याद आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। प० दि २४/४/१९ को पेश हो।

24/4/19 पत्रावली पेश बार एसोसियशन मे
कन्डोलेन्स ....कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया/ पत्रावली इजलास
होकर दिनांक 19/6/19 को पेश हो।

13/6/19 पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक प्रा० पत्र पेश करने पर आज तलब की गई प्रार्थी द्वारा पक्षकारों में राजीनामा होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोवल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

विजयकुमार जैन

प्रार्थी स्वयं के निवेदन पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)